20 Rs COURT FEE २० रु
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

(11)

मानानीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी क्रं.- R-164-PBR/2012

सईद मोहम्मद पिता हाफिज मोहम्मद मुसलमान
निवासी- नाहरगढ तहसील- सीतामऊ
जिला मन्दसौर म.प्र.

----- निगरानीकर्ता

बनाम

श्री रवीन्द्र सिंह मण्डलोई द्वारा आज दि. 27-1-2012 को प्रस्तुत
27-1-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1-रसीदखां पिता मुनीर खां मुसलमान,
निवासी- नाहरगढ तहसील- सीतामऊ
2-यासीन खां पिता मुनीर खां मुसलमान,
निवासी- नाहरगढ तहसील- सीतामऊ
3-शहजाद पिता फरीद खां मुसलमान,
निवासी- नाहरगढ, हा०मु०- नयापुरा मन्दसौर,
जिला मन्दसौर म.प्र.
4-तबस्सुम पिता फरीद खां मुसलमान, आयु 30 साल,
धंधा नौकरी, हाल पता - भू-अभिलेख बन्दोबस्त कार्यालय
नीमच
5-आरीफ पिता फरीद खां मुसलमान,
हा०मु० - नयापुरा मन्दसौर, जिला मन्दसौर
6-हाफिज मोहम्मद पिता मुनीर खां फौत वारिसान
(1)-रईसा बेवा हाफीज मोहम्मद मुसलमान, नि०- नाहरगढ
(2)-रफीक मोहम्मद पिता हाफीज मोहम्मद मुसलमान, नि०- नाहरगढ
(3)-हनिफ मोहम्मद पिता हाफिज मोहम्मद मुसलमान, नि०- नाहरगढ
(4)-युसुफ मोहम्मद पिता हाफिज मोहम्मद मुसलमान, नि०- नाहरगढ
(5)-तसलिम बी पिता हाफीज मोहम्मद मुसलमान पति रसीद खां
निवासी- मदारपुरा जिला मन्दसौर
(6)-तबस्सुम बी पिता हाफिज मोहम्मद पति वहीद खां,
नि०- मदारपुरा मस्जिद के पास मन्दसौर, जिला मदसौर
म.प्र.

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.संहिता

निरन्तर-2

XXXIX-(a)-BR(H)-1

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी आवेदन अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा निगरानी प्र०क्र० - मे पारित आदेश दिनांक 05.11.2011 के विरूद्ध आदेश दिनांक से आदेश की जानकारी दिनांक तक के समय को कण्डोन की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 164–पीबीआर / 2012 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदक सूचना उपरान्त अनुपस्थित । प्रकरण के ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–11–11 की सत्यप्रतिलिपि एवं निगरानी मेमों का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश स्थिर रखा गया है कि नामान्तरण के प्रकरण में आवेदक द्वारा कब्जे के आधार पर आपत्ति की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। अतः अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	